



2026:AHC:180368

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 30305 / 2026

विनोद

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : किरण तिवारी, महेश चंद्र तिवारी

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-विरोधी पक्ष के विद्वान ए.जी.ए. श्री वी.पी. त्रिपाठी को सुना। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।
- वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 340/2025 अंतर्गत धारा 108 बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - हरिपरवत, जिला - आगरा में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना कथित तौर पर 21.9.2025 को घटी थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 23.9.2025 को दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुई देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, मृतका आवेदक के भाई के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। आवेदक और अन्य सह-अभियुक्त नियमित रूप से मृतका को परेशान और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उन्होंने मृतका पर हमला किया, उसके पैसे और गहने छीन लिए और जब भी उसने उन्हें वापस मांगा, आवेदक

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और अन्य अभियुक्त लगातार उसे परेशान और प्रताड़ित करते थे। आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा किए जा रहे लगातार उत्पीड़न और मानसिक क्रूरता से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। इसके अतिरिक्त, कथित वीडियो रिकॉर्डिंग में मृतका ने मात्र यही कहा है कि वह स्वयं जहर खा रही है। आवेदक और अन्य उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण पता नहीं चल सका। विसरा को संरक्षित करके रासायनिक और टॉक्सिकॉलॉजिकल विज्ञान परीक्षण के लिए भेजा गया है। विसरा की रिपोर्ट अभियोग दैनिकी का हिस्सा नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, कथित वीडियो रिकॉर्डिंग और विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री के अनुसार, धारा 108 बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते हैं। आवेदक ने किसी भी प्रकार से मृतक द्वारा आत्महत्या करने के लिए उकसाया नहीं। अभियोजन पक्ष का मामला, जैसा कि वर्तमान में है, उक्त प्रावधान को लागू करने के लिए आवश्यक आपराधिक मनःस्थिति या निकटवर्ती कृत्य को प्रकट नहीं करता है। अपने प्रस्तुति के समर्थन में, आवेदक के अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **निपुण अनेजा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 654/2017)** निर्णीत दिनांक 03.10.2024 और **अभिनव मोहन डेलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (आपराधिक अपील संख्या 2177-2185/2024)** निर्णीत दिनांक 18.08.2025 के निर्णयों पर भरोसा जताया है। आवेदक 20.07.2026 से जेल/कारागार में है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन अभिलेख से उपरोक्त प्रस्तुतियों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, कथित वीडियो रिकॉर्डिंग और विवेचना के दौरान एकत्रित सामग्री के अनुसार, धारा 108 बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते हैं। आवेदक द्वारा ऐसा कोई प्रत्यक्ष या निकटवर्ती कृत्य नहीं

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया है जिसे आत्महत्या के लिए उकसाने, षड्यंत्र रचने या जानबूझकर सहायता करने के रूप में माना जा सके। इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक दो माह से अधिक समय से हिरासत में है और विचारण के शीघ्र निस्तारण की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर तब जब राज्य द्वारा ऐसा कोई उचित संदेह सामने नहीं लाया गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा, विचारण में बिलंब करेगा या साक्षी को डराएगा, इसलिए, मामले की गुण-दोषों पर टिप्पणी किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक - विनोद को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये कि वह :-

(i) विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा;

(ii) अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और,

(iii) अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

अगस्त 31, 2026

एसकेटी/-

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।